हिंदी कक्षा – IX

पूरक पाठ्यसामग्री

समेटिव परीक्षा-II
मार्च-2014

विषयः	पृष्ठ
1. बाल मजदूरी	1
2. बालक-बालिकाओं का असमान लिंग अनुपात	10

EDUCATIONCENTRAL BOARD OF SECONDARY

मुक्त पाठ्य सामग्री

हिन्दी 'अ' (002) एवं 'ब' (085)

1. विषय: बाल मजदूरी

प्रस्तावना

कक्षा नवीं में हिन्दी 'अ' विषय के अंतर्गत बाल-मज़दूरी की समस्या से संबंधित कविता '**बच्चे काम पर जा रहे हैं**' में सुबह-सुबह छोटे बच्चों को स्कूल न जाकर काम पर जाने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ता है जैसे प्रश्न उठाए गए हैं। कक्षा नवीं में हिन्दी 'ब' में भी '**खुशबू रचते हैं हाथ**' कविता में अंधेरी बदबूदार गलियों में बच्चों द्वारा अगरबत्ती बनाने जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कार्य का उल्लेख किया गया है। इस अध्ययन सामग्री में देश में बाल-श्रमिकों के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। विभिन्न आंकड़ों के सहयोग से विद्यार्थी देश में बाल-मज़दूरी की दर, शिक्षा, बच्चों के प्रति होने वाले अपराध का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। बाल-श्रम से जुड़े कानूनों के बारे में जानेंगे तथा उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही शिक्षा का अधिकार कानून 2009 और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं देश में बाल-मज़दूरी से निपटने के लिए क्या भूमिका निभा रही हैं इस पर विद्यार्थी कक्षा में और अपने परिवार में चर्चा करेंगे। इस प्रकार वे एक ऐसी सोच-समझ के वाहक बन सकेंगे जो समाज में संवेदनशील वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध हो सकेगी।

सारांश: *आज भारत में सारी दुनिया की तुलना में सबसे अधिक युवा हैं। 0-14 आयु के बच्चे देश की कुल जनसंख्या का एक-तिहाई हैं। दुनिया के 10-19 वर्ष के किशोर और किशोरियों का घर भारत है। ऐसे में बच्चों को लेकर बनाई जाने वाली नीतियां और कानूनों को और भी प्रभावशाली बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि आज बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भावी रोज़गार संबंधी चुनौतियां हमारे सामने हैं। बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति संवेदनशील होना अति आवश्यक है। बच्चों के साथ होने वाले ऐसे ही एक अपराध 'बाल-मज़दूरी' के विषय में हम यहां तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप स्वयं बच्चों के अधिकारों को जानें, समझें तथा इस समस्या के समाधान के लिए अपने स्तर पर सतत प्रयासरत रहें।*

आज के बच्चे कल का भविष्य हैं--इस वक्तव्य का भारत के लिए विशेष महत्व है क्योंकि आज देश में विश्व की तुलना में सबसे अधिक नौजवान लोगों की जनसंख्या है। **यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड (यूनिसेफ)** की रिपार्ट **स्टेट ऑफ द वर्ल्डस् चिल्ड्रन-2011** में जानकारी दी गई थी कि भारत में लगभग **24 करोड़ 30 लाख** बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु 10-19 वर्ष है। इस पंक्ति में दूसरा स्थान चीन का (20 करोड़ 70 लाख), तीसरा स्थान अमेरिका का (4 करोड़ 40 लाख) और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और पाकिस्तान दोनों (4 करोड़ 10 लाख) हैं।

बच्चों के अधिकारों को संबोधित करते हुए **अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर संगठन** न भी गंभीरता दिखाते हुए सन् 2016 तक पूरी दुनिया से **स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले व्यवसायों** से बाल मज़दूरी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही इस दिशा में तेज़ गति से काम करने पर जोर दिया गया है। विश्वभर में 12 जून को **बाल-श्रम के खिलाफ विश्व दिवस** मनाया जाता है। सन् 2010 में पूरी दुनिया में बाल-मज़दूरी की दर में कमी देखी गई है, लेकिन इसके घटने की दर बहुत ही धीमी है।

क्या आप जानते हैं कि भारत में बाल-मज़दूरी की दर पर क्या असर हुआ है? कानून के अनुसार किस उम्र तक के बच्चों को बाल-श्रमिक कहा जाता है? इस समस्या से निपटने के लिए कौन-कौन से कानून बनाए गए हैं? क्या आपने अख़बारों, टेलीविज़न या फिल्मों में बाल-श्रमिकों की व्यथा को पढ़ा या देखा है? आप अपने विद्यालय और घर में इस विषय पर चर्चा करें। अपने अध्यापक और परिवार के सदस्यों की सहायता से बाल-श्रम से जुड़े कानूनों की जानकारी प्राप्त करें। हम यहां कुछ तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आप स्वयं इस समस्या के प्रति संवेदनशील होकर एक सार्थक सोच बना सकेंगे।

(तालिका 1.1) 5-14 वर्ष के बच्चों में बाल-मज़दूरी के जनसंख्या संबंधित आंकड़ा (करोड़ में)

वर्ष	जनसंख्या
1971	10753985
1981	13640870
1991	11285349
2001	12666377
2004-2005 (नेशनल सैम्पल सर्वे संगठन, NSSO)	9075000
2009-2010 (नेशनल सैम्पल सर्वे संगठन) 66वां सर्वे	4983871

भारत में बच्चों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर समय-समय पर कदम उठाए जाते रहे हैं। **बाल-श्रम निषेध एवम् विनियमन अधिनियम, 1986, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, 1976, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 आदि** देश में मौजूद हैं किंतु विभिन्न आंकड़ों के संदर्भ में बाल-श्रमिकों की स्थिति का विश्लेषण करना आवश्यक है जिससे सही दिशा में प्रयास किए जा सके। आप बच्चों से जुड़े कानूनों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। **शिक्षा का अधिकार** कानून के विषय में जानें।

नेशनल सैम्पल सर्वे संगठन (NSSO) द्वारा 2009-2010 में 66वें दौर के सर्वे में विभिन्न राज्यों से प्राप्त 5-14 वर्ष के बाल-श्रमिकों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। (तालिका 1.2)

राज्य	लड़के	लड़कियां	कुल	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	108923	125739	234662	4.71
असम	156488	32666	189154	3.80
बिहार	235309	41213	276522	5.55

छत्तीसगढ़	4305	7321	11626	0.23
दिल्ली	18576	0	18576	0.37
गुजरात	166432	224255	390687	7.84
हरियाणा	50737	21459	72196	1.45
हिमाचल प्रदेश	4456	2942	7398	0.15
जम्मू और कश्मीर	12413	16872	29285	0.59
झारखंड	67807	14661	82468	1.65
कर्नाटक	110589	115908	226497	4.54
केरल	1182	1583	2765	0.06
मध्य प्रदेश	149142	41875	191017	3.83
महाराष्ट्र	120600	140073	260673	5.23
ओडिशा	90912	43651	134563	2.70
पंजाब	32466	16370	48836	0.98
राजस्थान	136239	269697	405936	8.14
तमिलनाडु	3471	13880	17351	0.35
उत्तर प्रदेश	18029	9342	27371	0.55
उत्तराखंड	1160114	615219	1775333	35.62
पश्चिम बंगाल	389211	162373	551584	11.07
अखिल भारत	**3057998**	**1925873**	**49,83,871**	**100.00**

तालिका 1.3

	प्रति 1000 व्यक्तियों पर नियुक्त बाल-श्रमिकों का विभाजन						
	आयु (वर्ष में)	ग्रामीण		शहरी		कुल	
2004-2005		लड़के	लड़कियाँ	लड़के	लड़कियाँ	लड़के	लड़कियाँ
	5-9	2	1	2	1	2	1
	10-14	54	49	44	24	52	43
2009-2010	5-9	2	1	0	0	1	1
	10-14	27	21	24	8	26	18

स्रोत: नेशनल सैम्पल सर्वे संगठन 2004-2005, 2009-2010 (भारत में रोज़गार और बेरोज़गार की स्थिति)

साक्षर और निरक्षर लोगों का प्रतिशत (जनगणना 2011) (चित्र 1.1)

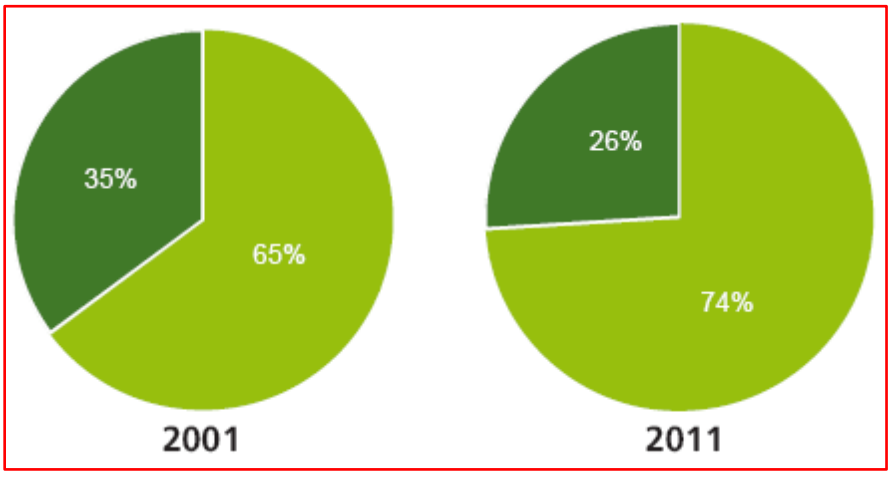

निरक्षर

साक्षर

विभिन्न राज्यों में साक्षरता दर (प्रतिशत में) (जनगणना 2011) (तालिका 1.4)

राज्य	पुरुष	महिला	कुल
आंध्र प्रदेश	75.56	59.74	67.66
असम	78.81	67.27	73.18
बिहार	73.39	53.33	63.82
छत्तीसगढ़	81.45	60.59	71.04
दिल्ली	91.03	80.93	86.34
गुजरात	87.23	70.73	79.31
हरियाणा	85.38	66.77	76.64
हिमाचल प्रदेश	90.83	76.60	83.78
जम्मू और कश्मीर	78.26	58.01	68.74
झारखंड	78.45	56.21	76.63
कर्नाटक	82.85	68.13	75.60
केरल	96.02	91.98	93.91
मध्य प्रदेश	80.53	60.02	70.63
महाराष्ट्र	89.82	75.48	82.81
ओडिशा	82.40	64.36	73.45
पंजाब	81.48	71.34	76.68
राजस्थान	80.51	52.66	67.06
तमिलनाडु	86.81	73.86	80.33
उत्तर प्रदेश	79.24	59.26	69.72
उत्तराखंड	88.33	70.70	79.63
पश्चिम बंगाल	82.67	71.16	77.08

बाल-मज़दूरी में लगे हुए बच्चे अप्रशिक्षित कामगार बनकर रह जाते हैं। अत: एक समय के बाद इनके पास रोज़गार के अवसर और माध्यम बहुत ही सीमित रह जाते हैं। ऐसे में 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोज़गारी संबंधी आंकड़ों को आपके अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। **(चित्र 1.2)**

15-29 वर्ष के युवाओं में बेरोज़गारी की स्थिति से संबंधित आंकड़े

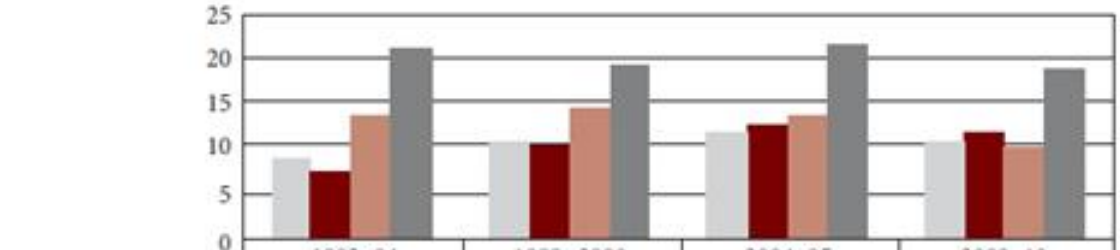

	1992–94	1999–2000	2004–05	2009–10
Rural Male	9	11.1	12	10.9
Rural Female	7.6	10.6	12.7	12
Urban Male	13.7	14.7	13.7	10.5
Urban Female	21.2	19.1	21.5	18.9

Source: NSS 55th, 61st and 66th rounds.

सन् 2001 की जनगणना में दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले व्यवसायों में लगे 5-14 वर्ष की आयु के बच्चों का पाई-चार्ट प्रस्तुतीकरण। (चित्र 1.3)

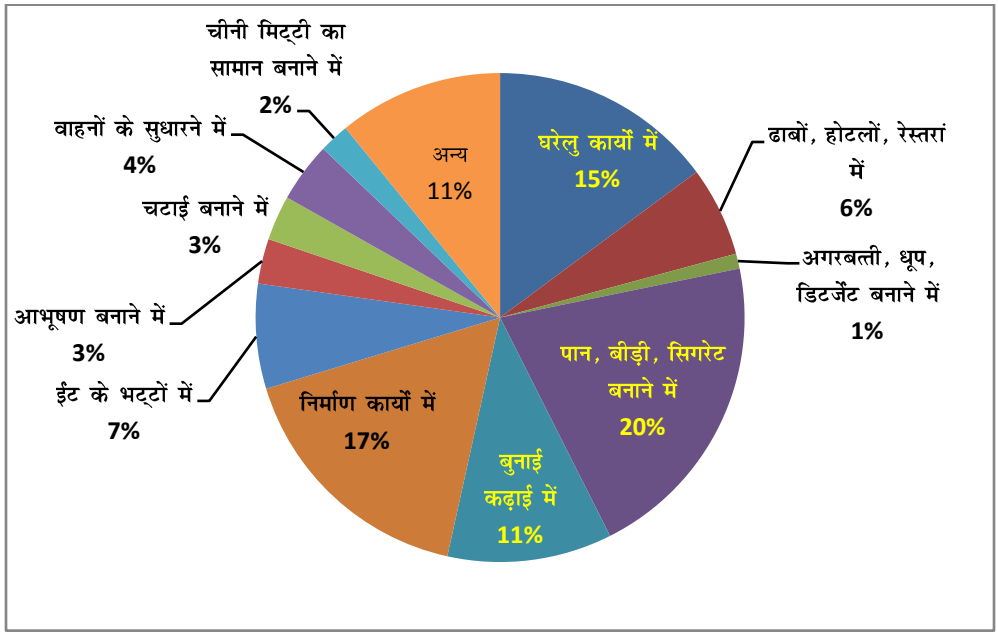

स्रोतः नेशनल सैम्पल सव

आपको यह भी ज्ञात होगा कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी वृद्धि हुई है जो एक गंभीर मसला है। 2010 में नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकडों के अनुसार बाल अपराध का राष्ट्रीय आंकड़ा 26,694 था जोकि 2011 में बढ़कर 33,098 हो गया था। अतः बाल अपराध में 24% वृद्धि देखी गई है। इसमें सबसे अधिक बाल अपराध प्रतिशत उत्तर प्रदेश (16.6%) का है। इसके बाद, मध्य प्रदेश 13.2%, दिल्ली 12.8%, महाराष्ट्र 10.2%, बिहार 6.7% और आंध्र प्रदेश 6.7% हैं। नीचे प्रस्तुत किए गए पाई-चार्ट में बच्चों के विरुद्ध होने वाले विभिन्न अपराधों को दर्शाया गया है। **(चित्र 1.4)**

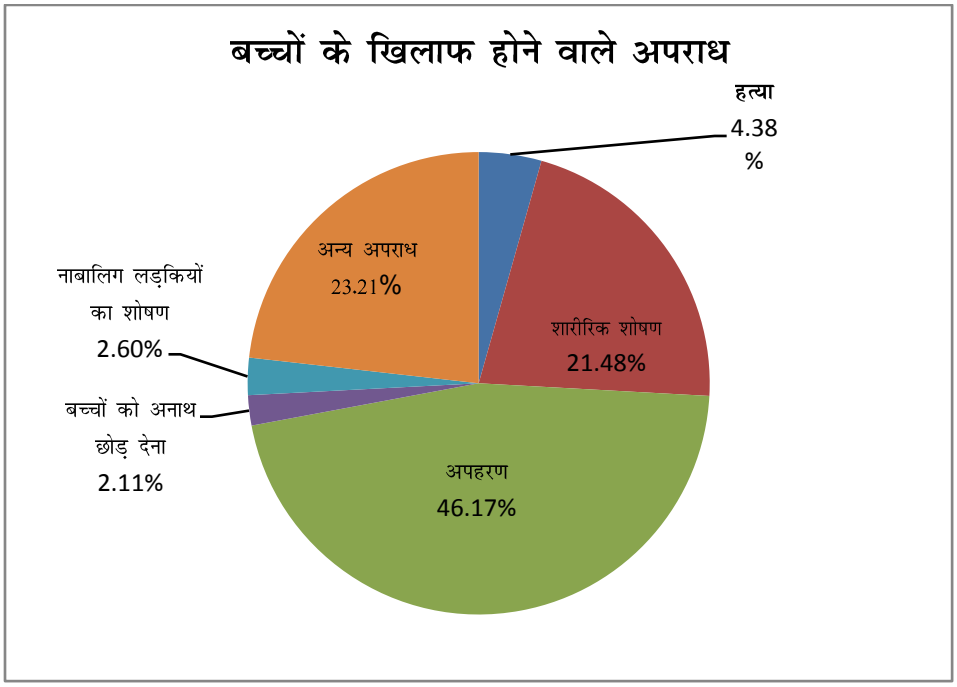

स्रोतः क्राइम इन इंडिया 2011, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो

जानकारी के स्रोतः

- ☆ www.mospi.nic.in
- ☆ unicef report-State of the world children-2011
- ☆ www.googlescholar.com

आदर्श प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। (10 अंक)

प्रश्न: सभी तालिकाओं और चित्रों को ध्यानपूर्वक समझ और बताएं कि कुल मिलाकर देश में बाल मज़दूरी को लेकर कैसी स्थिति है? क्या चित्र 1.4 में दर्शाए गए अपराध बाल-मज़दूरी करने वाले बच्चों के साथ एक आम समस्या बनते जा रहे हैं? कारण बताते हुए उत्तर दीजिए। इस समस्या से निपटने में शिक्षा क्या भूमिका निभा सकती ह?

अंक योजना

	उत्तर रूपरेखा		**मूल्य बिंदु**	**अंक**
उत्तर	स्थिति का अवलोकन	तथ्यों के आधार पर विचार प्रस्तुति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यवसायों का उल्लेख	**विश्लेषण** (तुलना, मूल्यांकन)	**2**
	अपराधों की भयावहता का उल्लेख	अपराधों के नाम बताना, खबरों तथा फिल्मों आदि से उदाहरण देना।	**समझना** (वर्णन, श्रेणी बताना आदि)	**3**
	कारण	ग़रीबी, अशिक्षा आदि। किसी कहानी, फिल्म या ख़बर का उदाहरण देना।	**ज्ञान का प्रयोग** (लेखन, अनुमान के द्वारा, उदाहरण के द्वारा)	**2**
	शिक्षा की भूमिका	सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार कानून आदि का उदारहण देते हुए अपने नवीन सुझाव प्रस्तुत करना।	**सृजन** (नई बात बताना)	**3**

2. विषय: बालक-बालिकाओं का असमान लिंग अनुपात

प्रस्तावना

कक्षा नवीं में हिन्दी 'अ' विषय के अंतर्गत समाज में महिलाओं की शिक्षा और विवाह के संदर्भ में रूढ़िवादी मानसिकता को प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन में समाज में लड़कियों की घटती जनसंख्या, स्वास्थ्य और शिक्षा को संख्यात्मक तथ्यों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जिससे शिक्षार्थी अपने कौशल से अध्ययन करें, विश्लेषण करं और इस विषय पर ज्ञानार्जन करके एक ऐसी सोच-समझ के वाहक बनें जो समाज में संवेदनशील वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध हो सके।

सारांश: ***'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'*** *अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन इस बात को समाज ने कदाचित अभी जाना नहीं है। लड़कियों की घटती संख्या समाज के एक ऐसे पक्ष को उजागर करती है जो लड़कियों के प्रति लोगों के दूसरे दर्जे के व्यवहार का परिचायक है। लेकिन इस विषय को आपके अध्ययन हेतु क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? या फिर लड़कियों की संख्या कम होने से आखिर क्या फर्क पड़ता है? ऐसी कौन-सी समस्याएं हैं जो लड़कियों के घटते जनसंख्या अनुपात का परिणाम हैं? इन प्रश्नों पर आप अपने विद्यालय में, अपने परिवार में चर्चा करें। यहां आपके समक्ष स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। जिससे आप इस समस्या की भयावहता को समझें, जाने, और इस दिशा में सुधार के लिए गतिशील हो सकें।*

जन गणना-2011 से प्राप्त नतीजों से स्पष्ट हो चुका है कि पिछले एक दशक में 0-6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या में कमी हुई है लेकिन यदि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या को देखा जाए तो इनकी संख्या में ज्यादा गिरावट देखी गई है। लड़कियों की संख्या में लगभग 30 लाख की घटौती हुई है जो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। 0-6 वर्ष

के बच्चों के लिंग अनुपात में जो अंतर आया है उससे पता चलता है कि लड़कियों के प्रति आज भी समाज में पूर्वाग्रहग्रसित दोहरी मानसिकता है।

सन् 2011 में हुई पंद्रहवीं राष्ट्रीय जनगणना में दिए गए आंकडों को देखें। तालिका 1.1 जनसंख्या (करोड़ों में)

	2001	2011	अंतर
भारत	102.9	121.0	18.1
ग्रामीण	74.3	83.3	9.0
शहरी	28.6	37.7	9.1

स्रोत: www.censusindia.gov.in

तालिका 1.2 लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या)

	2001	2011	अंतर
भारत	933	940	+7
ग्रामीण	946	947	+1
शहरी	900	926	+26
0-6 वर्ष			
भारत	927	914	-13
ग्रामीण	934	919	-15
शहरी	906	902	-4

स्रोत: www.censusindia.gov.in

तालिका: 1.3

जनगणना वर्ष	0-6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या 2001-2011 (करोड़ में)			कुल जनसंख्या (करोड़ में)			कुल जनसंख्या में 0-6 वर्ष बच्चों का कुल जनसंख्या में भाग (प्रतिशत में)		
	कुल	लड़के	लड़कियाँ				कुल	लड़के	लड़कियाँ
2001	163.84	85.01	78.83	1028.74	532.2	496.5	15.93	15.97	15.88
2011	158.79	82.95	75.84	1210.19	623.72	586.47	13.1	13.3	12.9

स्रोत: जनगणना 2011, भारत, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया

भारत में लिंग अनुपात का चलन (1961-2011) (ग्राफ 1.1)

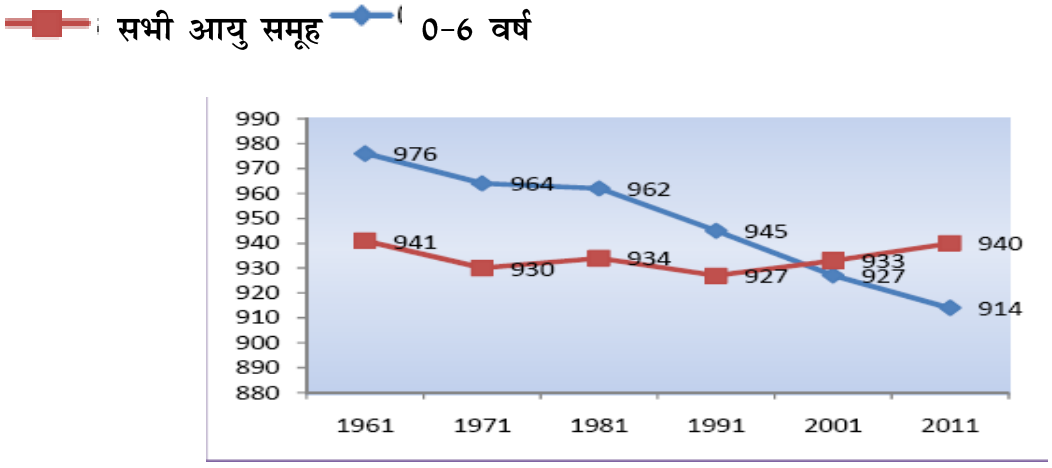

0-6 वर्ष की लड़कियों की संख्या < 900	
राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	0-6 वर्ष (प्रति 1000 लड़कों की तुलना में)
हरियाणा	830
पंजाब	846

जम्मू और कश्मीर	859
दिल्ली	866
चंडीगढ़	867
राजस्थान	883
महाराष्ट्र	883
उत्तराखण्ड	886
गुजरात	886
उत्तर प्रदेश	899

0-6 वर्ष की लड़कियों की संख्या > = 950	
राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	0-6 वर्ष (प्रति 1000 लड़कों की तुलना में)
मिज़ोरम	971
मेघालय	970
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	966
छत्तीसगढ़	964
अरूणाचल प्रदेश	960
असम	959
त्रिपुरा	953
पश्चिम बंगाल	950
हिमाचल प्रदेश	906

तालिका 1.4 और 1.5 स्रोत: जनगणना 2011, भारत, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया

आपको यह भी ज्ञात होगा कि देश में ऐसे भी राज्य हैं जहां **0–6 वर्ष** के बच्चों का लिंग अनुपात बहुत अच्छा है। केरल और पांडिचेरी में प्रति 1000 लड़कों पर क्रमश: 1084 और 1038 लड़कियां है। केरल राज्य का मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। यहां न केवल लिंग अनुपात बल्कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी सबसे अच्छी स्थिति है। आखिर केरल ने ऐसी कौन-सी नीतियाँ अपनाई हैं जिससे यह राज्य एक आदर्श बन गया है? आप जानने का प्रयास करें।

सन् 2008–2010 में सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा देश में बच्चों के **जन्म के समय में** लिंग अनुपात के संबंध में सर्वे किया गया था जिसमें प्रांतवार प्रति 1000 लड़कों की तुलना में जन्म लेने वाली लड़कियों का अनुपात पंजाब में (832), हरियाणा में (848), केरल में (966) और छत्तीसगढ़ में (985) पाया गया था। यह असमान अनुपात देश में होने वाले **कन्या भ्रूण हत्या** जैसे घिनौने अपराध के संबंध में भयानक स्थिति का संकेत देता है। साथ ही यह राष्ट्र की उन्नति में विषम स्थिति का परिचायक है। आपसे यह आग्रह किया जाता है कि आप अपने विद्यालय और घर में इस विषय पर चचा-परिचर्चा करें कि आखिर लड़कियों की जन्मदर कम क्यों हो रही है?

जन्मदर के बाद शिशु मृत्यु दर के संबंध में आंकड़े क्या कहते हैं, इसकी जानकारी भी यहां प्रस्तुत की जा रही है। **शिशु मृत्यु दर संबंधी आँकड (ग्राफ 1.2)**

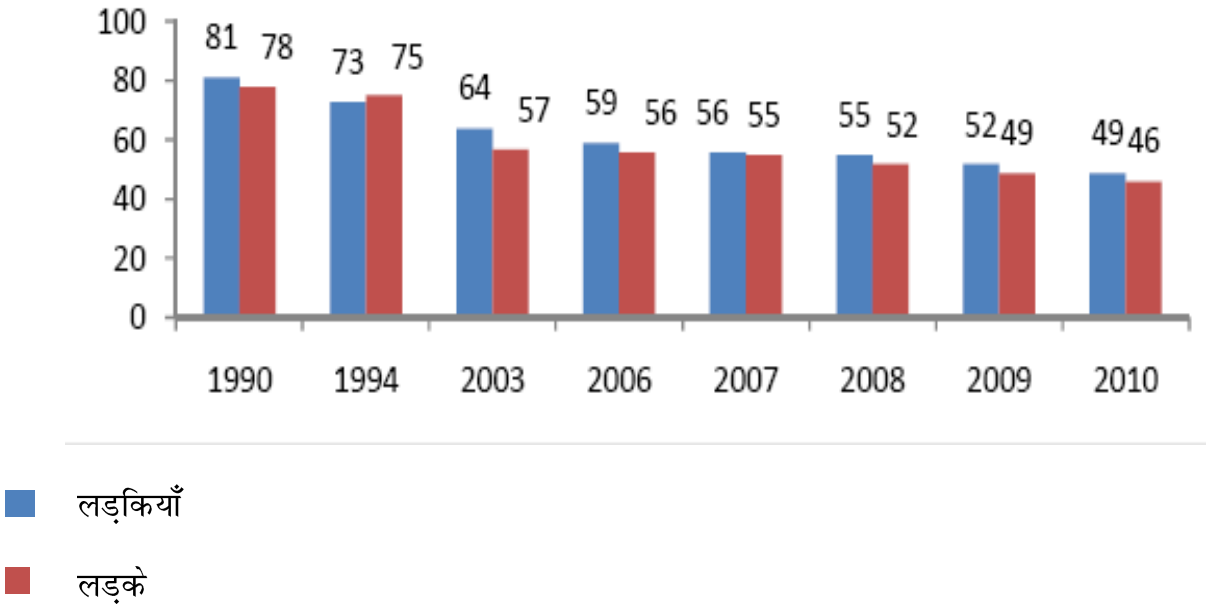

शिशु मृत्यु दर शहर और गांवों मं (ग्राफ 1.3)

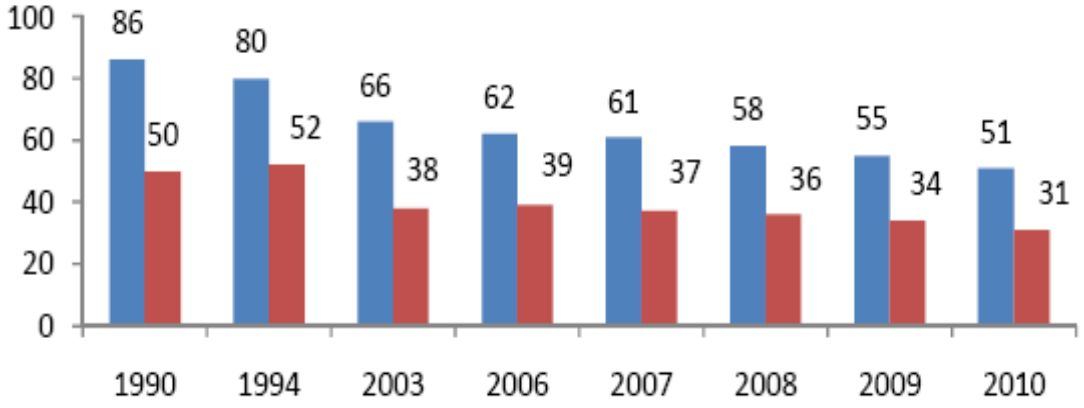

स्रोत: जनगणना, भारत, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया

पंद्रहवीं जनगणना 2011 में देश में साक्षरता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। नीचे दी गई तालिका 1.6 और 1.7 से आप यह जानने और समझने का प्रयत्न करें कि शिक्षा देश में लड़कियों के बेहतर जीवन और बेहतर लिंग अनुपात के संबंध में क्या भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के लिए आप केरल में लड़कियां की संख्या और लिंग अनुपात का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें। आपसे यह आग्रह किया जाता है बालिकाओं की शिक्षा के विषय में बनाई गई योजनाओं जैसे **लाडली, सबला तथा बालिका समृद्धि योजना** आदि के विषय में जानने का प्रयास करें।

साक्षरता दर 1951-2011 (प्रतिशत में) तालिका 1.6

जनगणना वर्ष	कुल व्यक्ति	पुरुष	महिला	पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता दर अंतर
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.3	40.4	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98

1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.83	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	82.14	65.46	16.68

विभिन्न राज्यों में साक्षरता दर (जनगणना 2011) तालिका 1.7

राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश	पुरुष	महिला	पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता दर अंतर
हरियाणा	85.38	66.77	18.61
पंजाब	81.48	71.34	10.14
जम्मू और कश्मीर	78.26	58.01	20.25
दिल्ली	91.03	80.93	10.10
चंडीगढ़	90.54	81.38	9.16
राजस्थान	80.51	52.66	27.85
महाराष्ट्र	89.82	75.48	14.34
उत्तराखण्ड	88.33	70.70	17.63
गुजरात	87.23	70.73	16.50
उत्तर प्रदेश	79.24	59.26	19.98
मिज़ोरम	93.72	79.40	4.32
मेघालय	77.17	73.78	3.39

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	90.11	81.84	8.27
छत्तीसगढ़	81.45	60.59	20.86
अरूणाचल प्रदेश	73.69	59.57	14.12
असम	78.81	67.27	11.54
त्रिपुरा	92.18	83.15	9.03
पश्चिम बंगाल	82.67	71.16	11.51
हिमाचल प्रदेश	90.83	76.60	14.23
केरल	96.02	91.98	0.04
पुदुच्चेरी	92.12	81.22	10.90

स्रोत: www.censusindia.gov.in

6 से 17 वर्ष के लडके-लड़कियों का स्कूल जाने का प्रतिशत (तीसरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2004-2005) ग्राफ 1.4

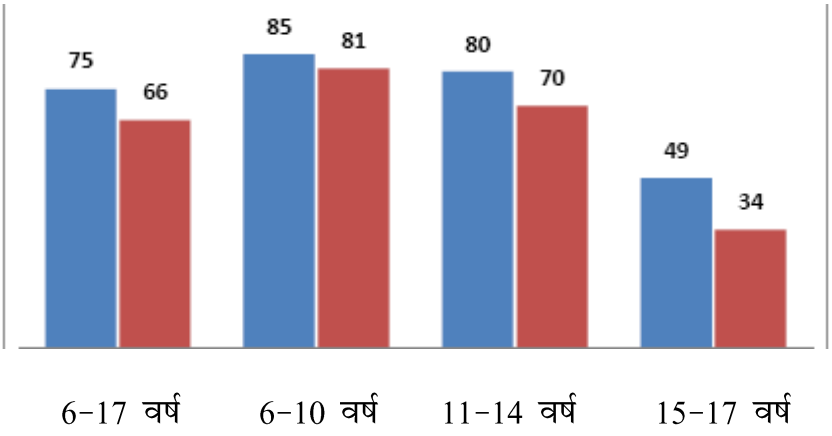

यूनाइटेड नेशन्स चिल्डनस् फंड (यूनिसेफ) की रिपार्ट **स्टेट ऑफ द वर्ल्डस् चिल्ड्रन-2011** में यह जानकारी दी गई है कि भारत दुनिया की सबसे अधिक किशोरियों (10-19 वर्ष) का घर है। अतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में लड़कियों की समस्याओं और अधिकारों को आवाज़ दी जाती रही है। भारत के साथ-साथ अन्य देशों में लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जागृति लाने के प्रयास हो रहे हैं। यूनिसेफ ने 15-29 वर्ष को लड़कियों में अरक्तता (अनीमिया) और कम वज़न (अंडरवेट) से संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाएँ हैं जिन्हें आपके अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा ह। (ग्राफ 1.5)

उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया

15-29 वर्षीय लड़कियों में अरक्तता (अनीमिया)

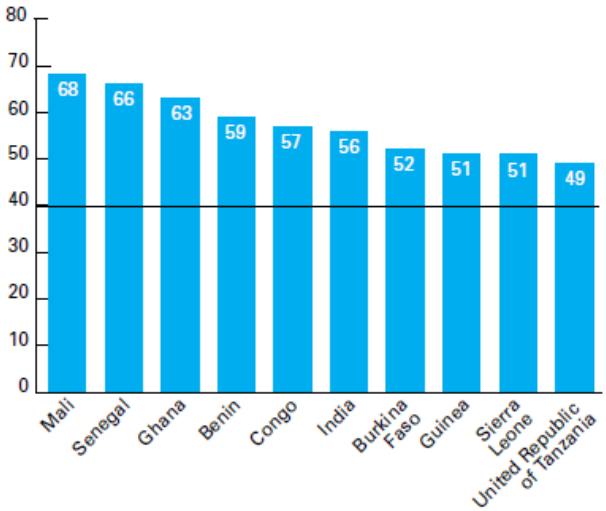

*The horizontal line at the 40 per cent mark represents the threshold at which anaemia is considered a severe national public health issue.

Source: DHS and national surveys, 2003–2009.

उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया

15-29 वर्षीय लड़कियों में कम वज़न (अंडरवेट)

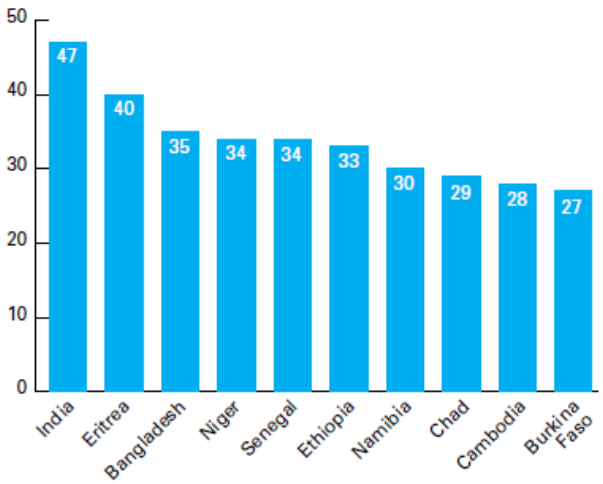

* Defined as a body mass index of 18.5 or less.

Source: DHS and other national surveys, 2002–2007.

उपरोक्त ग्राफ में 40% को दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा लड़कियों में एनीमिया की वह स्थिति बताती है जिस पर पहुंचने के बाद यह एक गंभीर रूप ले लेती है जिसका दुष्प्रभाव भावी पीढ़ी पर भी पड़ना स्वाभाविक है।

लड़कियों के विवाह और विवाह के समय उनकी आयु के संबंध में विभिन्न देशों में किए गए सर्वे (यूनिसेफ रिपोर्ट 2011) से प्राप्त आंकडों को नीचे (**ग्राफ 1.6**) में प्रदर्शित किया गया है। भारत में लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

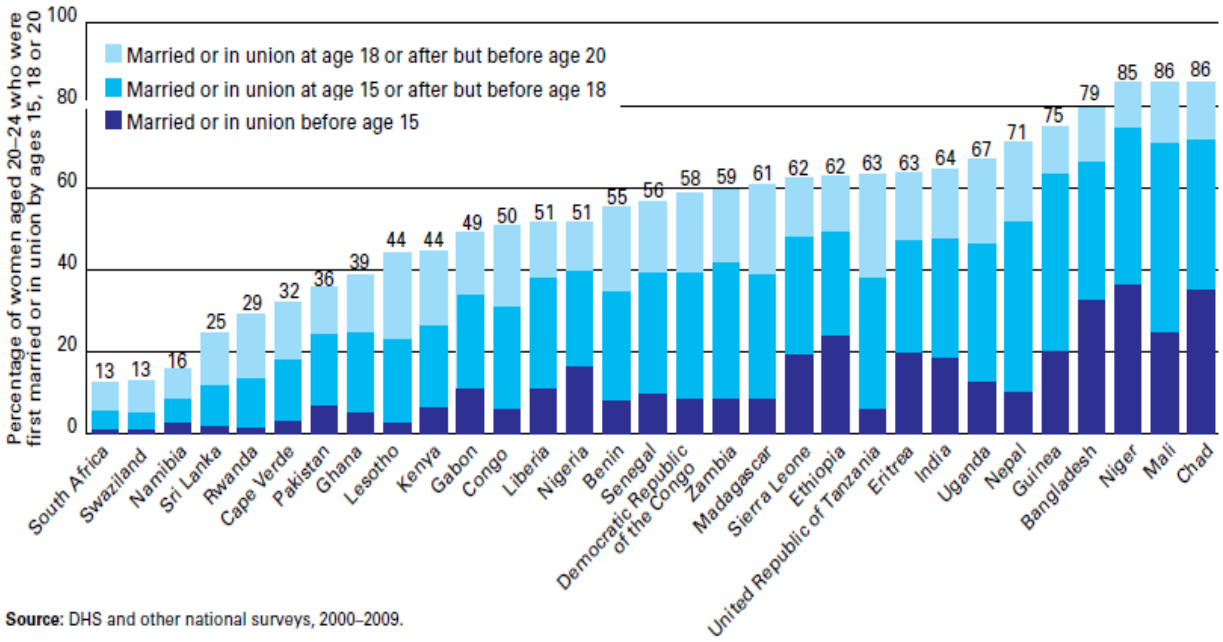

Source: DHS and other national surveys, 2000–2009.

उपरोक्त ग्राफ में भारत और नेपाल में लड़कियों के विवाह और आयु से संबंधित आँकडों के प्रस्तुतीकरण की एक तालिका नीच दी जा रही है। तालिका (1.8)

आयु वर्ग	भारत (प्रतिशत में)	नेपाल (प्रतिशत में)
0–15	14	21
15–18	31	40
18–20	19	10

जानकारी के स्रोत:

- ☆ www.mospi.nic.in
- ☆ www.censusindia.gov.in
- ☆ Unicef Report-State of the World Children-2011
- ☆ www.googlescholar.com
- ☆ www.wcd.nic.in

आदर्श प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (दो प्रश्न 5 अंक या एक प्रश्न 10 अंक का पूछा जाएगा)

प्रश्न–1: तालिका 1.4, तालिका 1.5 और तालिका 1.7 का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बताइए कि शिक्षा की उन्नत स्थिति कन्याओं के जनसंख्या अनुपात को किस रूप में प्रभावित करती है? बालिकाओं की शिक्षा दर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में कौन सी बातें शामिल की जानी चाहिएं। (10 अंक)

प्रश्न–2: सभी ग्राफ और तालिकाओं के अध्ययन के बाद आप देश में लड़कियों की स्थिति का किस रूप में आकलन करते हैं? संतुलित लिंग अनुपात के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिएं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। (5 अंक)

प्रश्न–3: ग्राफ 1.5 और ग्राफ 1.6 का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और लड़कियों के स्वास्थ्य, विवाह और विवाह के समय आयु जैसे विषय पर टिप्पणी कीजिए। (5 अंक)

अंक योजना

	उत्तर रूपरेखा		मूल्य बिंदु	अंक
उत्तर–1	तथ्यों के आधार पर स्थिति का अवलोकन	विभिन्न राज्यों में शिक्षा की दर और बच्चों के लिंग अनुपात का तुलनात्मक वर्णन।	**विश्लेषण** (तुलना, मूल्यांकन)	**3**
	शिक्षा की भूमिका	वास्तव में शिक्षा क्या असर डाल सकती है। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार कानून की महत्ता तथा लाडली योजना, सबला योजना आदि का उल्लेख।	**ज्ञान का प्रयोग** (लेखन, अनुमान–जानकारी के द्वारा, उदाहरण के द्वारा)	**4**
	सुझाव	नवीन विचार प्रस्तुतीकरण	**सृजन** (नई बात बताना)	**3**

उत्तर–2	स्थिति का अवलोकन	असंतुलित लिंग अनुपात के आंकडों का राज्यवार विश्लेषण, लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी तथ्य।	**विश्लेषण** (तुलना, मूल्यांकन)	**2**
	उपाय/सुझाव	कानूनों का उल्लेख, शिक्षा संबंधी नीति, सबला तथा लाडली योजना आदि का उल्लेख। नवीन निष्कर्ष।	**ज्ञान का प्रयोग** (लेखन, अनुमान–जानकारी के द्वारा, उदाहरण के द्वारा) **सृजन** (नई बात बताना)	**3**
उत्तर–3	तुलनात्मक अध्ययन	आंकड़ों के प्रयोग द्वारा प्रस्तुति	**विश्लेषण** (तुलना, मूल्यांकन) **समझना** (वर्णन, करना)	**2**
	समस्या का वर्णन, कारण, दुष्परिणाम, सुझाव आदि।	कम उम्र में विवाह से स्वास्थ्य पर असर, अधूरी शिक्षा, भावी पीढ़ी पर असर, मानसिक विकास पर असर – **कारण** गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, दहेज आदि।––**सुझाव** मुक्त उत्तर।	**ज्ञान का प्रयोग** (लेखन, अनुमान, उदाहरण के द्वारा) **सृजन** (नई बात बताना)	**3**